

प्ररूप अ. डि. संख्या 20

(अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए आवेदन)

(धारा 31(1)(ग) नियम 68)

अभिन्यास डिज़ाइन संख्या----- के मामले में -----रजिस्ट्रीकृत में स्वत्वधारी
का नाम ----- रजिस्टर में यथा प्रविष्टि -----पता-----

पूर्वोक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन किया जाता है कि अभिन्यास डिज़ाइन सं----- के
रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को रद्द किया जाए ।

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं पर आवेदन एक प्रति 1 तामील कर दी गई है ।

आज तारीख-----मास ----- 20

2-----

सेवा में

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

-----3 पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का कार्यालय ।

1. यदि लागू न हो तो काट दें ।
2. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर
3. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के नाम और स्थान का उल्लेख करें । नियम -4देखें